06. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री के साथ एकरारनामा होने के उपरान्त ही कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जायेगा।

07. एकरारनामा का प्रारूप (Format) इसके साथ संलग्न है एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के बेवसाईट www.kvibbihar.com पर भी उपलब्ध है।

08. एकरारनामा में निहित सभी शर्त्तों का अनुपालन खादी संस्थाओं/समितियों को अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी संस्थाओं के मध्य एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृत कार्यशील पूँजी (ऋण) का भुगतान किया जायेगा।

09. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत कार्यशील पूँजी की राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करेगें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
21/12/17

ज्ञापांक– खाबो/178 पटना, दिनांक–21/12/17

प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री/उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खाबो/178 पटना, दिनांक–21/12/2017

प्रतिलिपि :– राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
21/12/17

ज्ञापांक– खाबो/178 पटना, दिनांक– 21/12/2017

प्रतिलिपि :–संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
21/12/17

ज्ञापांक– खाबो/178 पटना, दिनांक–21/12/2017

प्रतिलिपि :–संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
21/12/17

ज्ञापांक– खाबो/178 पटना, दिनांक–21/12/2017

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
21/12/17

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या– खा0/पुर्न0/233/2016–17

बिहार सरकार, उद्योग विभाग की संकल्प संख्या–4671 दिनांक–19.12.2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत चरखा, करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संकल्प के कंडिका 03 के अनुसार संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जायेगा, जिसपर 4% (चार प्रतिशत) के दर से संस्था/समिति द्वारा ब्याज (सूद) देय होगा।

02. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–566 पटना दिनांक–17.02.2017 के आलोक में खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत बिहार स्थित खादी के जिन 17 संस्था/समितियों के बीच 01 तकुआ का कटिया चरखा (शिल्क स्पीनिंग चरखा) 600 नग क्रय किये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है, उन्हें कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है।

03. कार्यशील पूँजी के रूप में प्रति कटिया चरखा रू0 66,000/– (छयासठ हजार रूपये) मात्र के दर से संस्था/समितियों को भुगतान किया जाना है, जिस पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

04. संस्था/समितियों को प्रति कटिया चरखा पर कार्यशील पूँजी के रूप में रू0 66,000/– (छयासठ हजार रूपये) मात्र के दर से निम्नलिखित 03 संस्था/समितियों को 65 कटिया चरखा के लिये रू0–42,90,000/– (बेयालिस लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	आवंटित कटिया चरखा की संख्या	प्रति चरखा कार्यशील पूँजी (रूपये में)	कार्यशील पूँजी हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि (रूपये)
1	नरसिंहपुर खादी केन्द्रित रचनात्मक सहयोग समिति लि0, पो0–नरसिंहपुर, जिला–मुजफ्फरपुर	20	66,000.00	13,20,000.00
2	विकास समिति, जमुई	25	66,000.00	16,50,000.00
3	पचरूखी सिल्क खादी ग्रामोद्यौगिक सहयोग समिति लि0, भागलपुर	20	66,000.00	13,20,000.00
		65		**42,90,000.00**

रू0–42,90,000.00 (बेयालीस लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र।

05. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।